प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति

292. **क** (1) **समिति का गठन**- बिहार विधान-सभा की एक प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति होगी जिसमें सभापति सहित समिति के 19 सदस्य होंगे जो अध्यक्ष बिहार विधान-सभा द्वारा मनोनीत होंगे।

(2) **समिति का कार्यकाल**- समिति का कार्यकाल एक वर्ष के लिए या नयी समिति के गठन के पूर्व तक होगा।

(3) **समिति का विषय**- (1) (क) बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य

संचालन नियमावली के अन्तर्गत पूछे गये किसी प्रश्न या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को अध्यक्ष द्वारा यह समाधान हो जाने पर उसे समिति को जांच एवं प्रतिवेदन के लिए सौंपा जाना समुचित होगा, सौंप सेकेंगे।

(ख) यदि अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि राज्य सरकार द्वारा दिए गये प्रश्न या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर असंतोषजनक है या राज्य सरकार ने पर्याप्त समय देने पर भी उत्तर नहीं दिया अथवा विषय की विस्तृत जांच आवश्यक है तो अध्यक्ष उसे समिति की जांच एवं प्रतिवेदन के लिए सौंप सकेंगे।

(4) सदन में उठाये गये अत्यन्त लोक महत्व के विषय के संबंध में यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाय कि उसकी जांच समिति द्वारा आवश्यक है तो जांच के लिए आदेश दे सकेंगे

(5) समिति संबंधित ऐसे विषयों की जांच कर सकेगी जो सभा अथवा अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपा जाए।

(6) बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली के विधान-सभा की समितियों के कार्यसंचालन संबंधी सामान्य नियम, जिनका उपबंध इस समिति की नियमावली में नहीं है लागू होंग ।